लोकतंत्र जिंदाबाद!

विधानसभा के बजट सत्र के दौरान ही प्रदेश की व्यापारिक राजधानी और राजनीतिक राजधानी में एक ही दिन लोकतंत्र का एक और उत्सव संपन्न हुआ। पत्थरों की वर्षा के बीच विचारधारा की ऐसी गंगा बही कि कार्यकर्ता सीधे अस्पताल और फिर थाने के दर्शन कर आए।

लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। पहले नारे, फिर धक्का-मुक्की, फिर पथराव, और अंत में एफआईआर।

सुबह तक जो कार्यकर्ता पार्टी के शेर थे, शाम होते-होते मेडिकल रिपोर्ट और जमानत के कागज़ ढूंढते नजर आए। लोकतंत्र में भागीदारी का यह नया मॉडल है पहले जोश दिखाओ, और जब होश में आओ तो वकील खोजो।

भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर के बाहर और इंदौर में जो दृश्य बने, वो किसी राजनीतिक बहस से ज्यादा एक एक्शन फिल्म के क्लाइमेक्स जैसे थे। फर्क बस इतना था कि यहां ‘कट’ बोलने वाला कोई डायरेक्टर नहीं था। कैमरे जरूर थे मीडिया के और जब कैमरे होते हैं तो जोश थोड़ा और बढ़ जाता है।

कार्यकर्ता बेचारे क्या करें? उन्हें बताया गया, लोकतंत्र खतरे में है, दफ्तर घेरना है, आवाज बुलंद करनी है। उन्होंने आवाज इतनी बुलंद की कि पत्थर भी उड़ चले। उधर सामने वाले भी कम नहीं थे, उन्होंने भी सोचा, लोकतंत्र बचाना है तो जवाब तो देना ही पड़ेगा फिर क्या था, लोकतंत्र दोनों तरफ से सुरक्षित कर लिया गया।

अब दृश्य बदला है। अस्पताल के बाहर पट्टियां बंधी हैं, सोशल मीडिया पर बयानबाजी है, और थाने में धाराएं लगी हैं। पुलिस ने निष्पक्षता का परिचय देते हुए दोनों तरफ के कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज कर लिया है आखिर कानून सबके लिए बराबर है। जो भी पत्थर फेंके, उसे कोर्ट का रास्ता दिखे।

और नेता जी ? वे बयान दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर हमला हुआ। दूसरा कह रहा है कि हमारे दफ्तर पर सुनियोजित हमला था। दोनों तरफ से शब्दों के पत्थर अब भी चल रहे हैं, बस फर्क इतना है कि अब वे कागज और कैमरे के जरिए फेंके जा रहे हैं।

लेकिन असली नायक कौन? वही जमीनी कार्यकर्ता, जो दरियां बिछाता है, झंडे लगाता है, पर्चे बांटता है, घर घर जाकर वोटर निकालता है, जिसने जोश में आकर पार्टी का मान रखा और अब वकील का नंबर मोबाइल में सेव कर रहा है।

उसे अब समझाया जा रहा है। डरो मत, पार्टी तुम्हारे साथ है। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता है कि हां, साथ है, बयान में, ट्वीट में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कोर्ट की तारीख पर साथ कौन जाएगा, यह अगली रणनीतिक बैठक में तय होगा।

लोकतंत्र में भागीदारी का यह व्यावहारिक पाठ बड़ा रोचक है। पहले नारे लगाओ, हम लड़ेंगे ! फिर पुलिस कहे, अच्छा, अब थाने चलिए। वहां से आवाज आती है ‘वकील साहब, जमानत कराइए।

कोर्ट-कचहरी का चक्कर भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। तारीख पर तारीख मिलती है, और हर तारीख पर कार्यकर्ता को याद आता है कि उसने पत्थर किस विचारधारा के लिए उठाया था। विचारधारा धीरे-धीरे धुंधली होती है, लेकिन केस नंबर याद रहता है।

सबसे सुंदर दृश्य तब होता है जब दोनों दलों के घायल कार्यकर्ता अस्पताल के कॉरिडोर में आमने-सामने पड़ जाते हैं। एक के सिर पर पट्टी, दूसरे के हाथ में प्लास्टर। दोनों की आंखों में एक ही सवाल। ये हुआ क्या?

राजनीति में आक्रोश दिखाना आसान है, उसका दुष्परिणाम झेलना कठिन। पत्थर हवा में सेकंड भर उड़ता है, लेकिन मुकदमा सालों साल चलता है।

तो भाइयों और बहनों, अगली बार जब लोकतंत्र बचाने निकलें, तो जेब में नारा और दिल में जोश जरूर रखें, पर साथ में वकील का नंबर और थोड़ी समझदारी भी रख लें क्योंकि लोकतंत्र में पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं, बल्कि एफआईआर से मिलता है और अंत में वही पुराना सत्य नेता मंच पर, कार्यकर्ता पंचनामे में और लोकतंत्र जिंदाबाद!

पवन वर्मा-विनायक फीचर्स

कार्टून कोना...

भोजशाला विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट से भूचाल

मंदिर तोड़कर बनी मस्जिद

इंदौर। भोजशाला विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट ने नया भूचाल ला दिया है। मप्र हाईकोर्ट की इंदौर पीठ के आदेश के पालन में एएसआई ने 22 मार्च 2024 से भोजशाला मंदिर सह कमाल मौला मस्जिद परिसर और उसके 50 मीटर परिधीय क्षेत्र में वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण और उत्खनन किया। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप की गई और इस दौरान मौजूदा संरचना के स्वरूप को बदले बिना काम किया गया।

जांच और उत्खनन के दौरान मिली सभी वस्तुओं का विधिवत दस्तावेजीकरण किया गया। इनमें शिलालेख, मूर्तियां, सिक्के, स्थापत्य अवशेष, मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा, पत्थर, धातु और कांच की वस्तुएं शामिल हैं। जो इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि भोजशाला में मंदिर और मठ था। इन्हें मुगल काल में ध्वस्त करके वहां स्थापित मूर्तियों को नष्ट कर दिया गया था। इसकी गवाही परिसर में बनाई गई अब्दुल्ला शाह चंगाल के मकबरे के गेट पर लगा एक शिलालेख दे रहा है।

यह शिलालेख 1436-1469 ई. तक मालवा सल्तनत के सुल्तान रहे खिलजी वंश के संस्थापक महमूद खिलजी का है। इस शिलालेख का उल्लेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने अपनी सर्वे रिपोर्ट में खंड चार के पृष्ठ संख्या 260 पर किया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस शिलालेख की 17वीं और 18वीं पंक्तियों में लिखा है कि यहां पहले एक प्राचीन धार्मिक मंदिर और शैक्षणिक केंद्र (मठ) मौजूद था। उस स्थल पर देवताओं की मूर्तियां थीं, जिन्हें नष्ट कर दिया गया और इस स्थान को मस्जिद व मजार में परिवर्तित कर दिया गया।

साल 1951 में प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम के तहत भोजशाला और कमाल मौला मस्जिद को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था। इसी वजह से पूरी जांच बेहद सावधानी से की गई ताकि मौजूदा ढांचे को कोई नुकसान न पहुंचे। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) सर्वे आंगन में किया गया। इसमें तीन परतों वाली भू-आकृति का पता चला। पहली परत लगभग 1 मीटर मोटी है, जिसमें पत्थर की पट्टियों से बनी संरचनाएं हैं और स्पष्ट स्तरीकरण नहीं दिखता। दूसरी परत 4-5 मीटर तक फैली है और खंडित सामग्री से भरी है। तीसरी परत 5 मीटर से अधिक गहराई में है और इसे लगभग अक्षुण्ण आधार स्तर माना गया है, जहां सभी संरचनाएं स्थित हैं।

जांच में सामने आए चौंकाने वाले तथ्य

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के मुताबिक सर्वेक्षण, उत्खनन, शिलालेखों के अध्ययन, मूर्तियों और स्थापत्य टुकड़ों की जांच के आधार पर कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना एक पूर्ववर्ती बेसाल्ट संरचना के ऊपर निर्मित है जिसका निचला हिस्सा आज भी आधार के रूप में मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस स्थल पर वास्तुकला के तीन अलग-अलग चरण रहे। मौजूदा ढांचा तीसरे चरण का प्रतिनिधित्व करता है जो पहले के क्षतिग्रस्त ढांचे के ऊपर निर्मित है। उत्खनन में पक्की ईंटों से बनी संरचनाएं भी मिलीं। दक्षिण-पश्चिम कोने में खुदाई के दौरान सामने आई दीवारें बताती हैं कि शुरुआती संरचनाएं प्राकृतिक मिट्टी पर ईंटों से बनी थीं। मोटी और ऊंची दीवारें संकेत देती हैं कि यह संभवतः सार्वजनिक उपयोग की विशाल संरचना रही होगी। मुख्य संरचना के आसपास की संरचनाओं का स्तर समय-समय पर ऊंचा किया गया, जिससे संकेत मिलता है कि यह स्थल लंबे समय तक उपयोग में रहा। ठोस चबूतरे, मोटी ईंटों की दीवारें और फर्श सार्वजनिक उपयोग का संकेत देते हैं।

जगह-जगह मंदिर के प्रमाण

एएसआई ने सर्वे रिपोर्ट में शिलालेख पर फारसी में मुद्रित बातों का पक्षकारों की सुविधा के लिए अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया है। उसके अनुसार, खिलजी शासक महमूद शाह के शिलालेख की आयत 17-18, जो हिजरी वर्ष 859 (1455 ईस्वी) का है इसमें लिखा है- एक बहादुर व्यक्ति बड़ी सेना के साथ धर्म के केंद्र से इस पुराने आश्रम (मठ) में पहुंचा। उसने देवताओं की मूर्तियां तहस-नहस कर दीं और पूजने की जगह (मूर्तियों-मंदिर) को ताकत के बल पर नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद बना दिया।

सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, शिलालेख की लिखावट, परिसर में मिलीं मूर्तियों और वास्तुकला के अवशेष बताते हैं कि पत्थर की मूल संरचना को बाद में बदलकर मस्जिद बनाया गया। खंभों और स्तंभखंड की कला से संकेत मिलता है कि ये पहले मंदिर का हिस्सा थे, जिन्हें बाद में मस्जिद निर्माण में पुन- उपयोग किया गया। खिड़की फेम पर देवी-देवताओं की मूर्तियां अपेक्षाकृत अच्छी स्थिति में हैं। एक खंभे पर देवताओं की कटी-फटी आकृतियां हैं। भोजशाला का सच यही है कि इसके रूप को बदला गया। मंदिर को मस्जिद में बदलने के लिए इमारत को नुकसान पहुंचाया गया। यह कहना है सेवानिवृत्त अधिकारी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, धार, डीके रिछारिया का।

दोनों पक्ष के अपने-अपने दावे

मामले में याचिकाकर्ता (मंदिर पक्ष) आशीष गोयल का कहना है कि शिलालेख इस बात की गवाही देता है कि यहां प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर मूर्तियों को नष्ट किया गया और बाद में मस्जिद में परिवर्तित किया गया। सर्वे का यह तथ्य भोजशाला को सरस्वती (वाग्देवी) मंदिर सिद्ध करने के पक्ष में महत्वपूर्ण साक्ष्य है। वहीं, कमाल मौलाना वेलफेयर कमेटी, धार के सदर अब्दुल समद (मस्जिद पक्ष) का तर्क है कि 1903 और 1904 में एएसआई के ही सर्वे में यह स्पष्ट रूप से तय किया गया था कि यह स्थान मस्जिद है और उसकी संरचना भी मस्जिद जैसी ही है। अब नई सर्वे रिपोर्ट में तथ्य बदले नजर आ रहे हैं। हम कोर्ट में आपत्तियां दर्ज कराएंगे।

इस बीच, लंदन के म्यूजियम में रखी वाग्देवी (सरस्वती) की मूर्ति को भारत वापस लाने का मुद्दा गुरुवार को मध्य प्रदेश विधानसभा में उठा। विधायक प्रताप ग्रेवाल द्वारा लिखित सवाल में पूछा गया कि प्रतिमा को वापस लाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए गए। इस पर प्रदेश के संस्कृति विभाग के राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने लिखित जवाब में बताया कि इस संबंध में लगातार पत्राचार जारी है। गौरतलब है कि वाग्देवी की प्रतिमा 1930 में अंग्रेज अपने साथ ले गए थे और यह प्रतिमा फिलहाल लंदन के म्यूजियम में रखी है। बता दें कि भोजशाला के सरस्वती (वाग्देवी) मंदिर बनाम मौला कमाल दरगाह मस्जिद विवाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में विचाराधीन है। 2024 में एएसआई द्वारा 98 दिन तक किए गए भोजशाला परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की 2189 पृष्ठों की रिपोर्ट पर हाई कोर्ट ने मंदिर और मस्जिद पक्ष से आपत्तियां मांगी हैं। मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को प्रस्तावित है।

विधायकों-महापौर से पांच लाख तो पार्षदों से 51 का सहयोग!

आजीवन सहयोग निधि अभियान, भाजपा में कद के हिसाब से लिया जा रहा चंदा

इंदौर। भाजपा ने अपने नियमित खर्चों को पूरा करने के लिए आजीवन सहयोग निधि अभियान शुरू किया है, जो 28 फरवरी तक चलेगा। इसमें कार्यकर्ता व आमजन से स्वैच्छिक तौर पर 50 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी है। वर्ष 2025 में 25 करोड़ रुपये एकत्र हुए थे। पार्टी ने इस वर्ष दो बड़े परिवर्तन किए हैं। एक तो यह कि सहयोग निधि सिर्फ डिजिटल माध्यम से ही ली जाएगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहे और कोई प्रश्न नहीं उठा पाए।

दूसरा यह कि 20 हजार रुपये से अधिक सहयोग निधि देने वालों का पैन नंबर भी लिया जाएगा। वहीं इस बार भाजपा के अंदर अब कद के हिसाब से चंदा लिया जा रहा है। यानी पार्टी में जिसका जितना बड़ा कद है उससे चंदे की उम्मीद भी उतनी अधिक है। विधायकों-महापौर से पांच-पांच लाख तो पार्षदों से 51-51 हजार का सहयोग लिया जा रहा है। अभी तक नगद या चेक दोनों विकल्प देकर आजीवन सहयोग निधि जुटा रही प्रदेश भाजपा अब वर्ष 2026 में सिर्फ चेक, आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए पार्टी के खाते में ऑनलाइन पैसा ले रही है। पं. दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर प्रारंभ हुआ आजीवन सहयोग निधि अभियान 28 फरवरी तक चलना है। इस बार चेक के जरिए चंदा लिया जा रहा है। संगठन से लेकर सत्ता में बैठे नेताओं तक से आजीवन सहयोग निधि संग्रह की जा रही है। पार्टी ने 50 करोड़ का लक्ष्य तय किया है ऐसे में 50 हजार से लेकर पांच लाख रुपये सामान्य रूप से लिया जा रहा है। इसके ऊपर जो जितना देना चाहे। मंत्री पद वालों से राशि उससे कई गुना ज्यादा है। इसके अलावा पदाधिकारियों से भी सदस्यता निधि की राशि के लिए आग्रह किया जा रहा है। बड़े नेताओं के पास वरिष्ठ कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं।

स्वेच्छा और समर्थ के अनुसार सहयोग

दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि (11 फरवरी) से भाजपाई चंदा जुटाने में लगे हैं। ये आजीवन सदस्यता निधि है। सामान्यत- एक हजार रुपये से स्वेच्छा और समर्थ के अनुसार जनप्रतिनिधि-कार्यकर्ताओं से सहयोग लिया जाता है। इस बार भी लक्ष्य करीब 50 करोड़ तक पहुंचने का है। जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों पर विशेष सहयोग लिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, मंत्रियों से सबसे ज्यादा सहयोग की उम्मीद की जा रही है। वहीं विधायकों से पांच-पांच लाख रुपये की मांग हुई है। अधिकांश इस राशि को देने के लिए राजी भी हो गए हैं। महापौरों को भी पांच लाख का सहयोग देना है। इसके अलावा नगर अध्यक्ष और मुख्य पदाधिकारियों से भी पांच लाख रुपये सहयोग लिया जाएगा। नगर निगम में एमआईसी और पार्षद से भी सहयोग लिया जाएगा। सभी को 51-51 हजार रुपये सहयोग लिया जाना है इसके अलावा भाजपा युवा मोर्चा के लिए दावेदारी करने वाले पदाधिकारियों को भी सहयोग में बढ़चढ़कर हिस्सा लेने की सलाह दी गई है। अपने वरिष्ठ नेताओं के इशारे पर दावेदारों ने 51 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का सहयोग दिया है। कई ने तो इस सहयोग को इंटरनेट मीडिया में प्रसारित किया है ताकि दूसरे भी प्रेरित हों।

15 मार्च तक देना होगा पूरा हिसाब-किताब

सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय संगठन की ओर से प्रदेश भाजपा को कहा गया कि पूरे देश में चंदा कलेक्शन बंद कर दिया गया। इस पर मप्र की ओर से तर्क रखा गया कि यहां कुशाभाऊ ठाकरे के समय से चली आ रही बरसों की परंपरा है। इसी के बाद सशर्त सहयोग निधि जुटाने की अनुमति दी गई है। आजीवन सहयोग निधि कलेक्शन का काम 20 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद कलेक्शन करने वालों को 15 मार्च तक पूरा हिसाब-किताब पार्टी में देना होगा। प्रदेश संगठन की ओर से जिलों को कहा गया है कि वे जिलों के खर्च की तुलना में 2 गुना कलेक्शन करें। उदाहरण के लिए यदि जिले का खर्च प्रतिमाह एक लाख रुपए के हिसाब से सालाना 12 लाख रुपए है, तो उसे कम से कम 25 लाख रुपए कलेक्शन करना होगा। पार्टी में हिसाब चलता है कि 50 प्रतिशत प्रदेश संगठन के पास रहता है और बाकी जिलों को भेजा जाता है।

अब आसान नहीं होगा अवैध कॉलोनी काटना, सरकार तीन महिने में लाएगी सख्त कानून

भोपाल,(ईएमएस)। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में आज शुक्रवार को नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषणा की, कि आने वाले तीन महीने के भीतर सरकार एक ऐसा सख्त कानून लाने जा रही है जिससे अवैध कालोनियां काटना असंभव हो जाएगा। इस कानून का मसौदा भी तैयार हो गया है। इसके अलावा उन्होंने सदन को यह भी बताया कि जो कॉलोनिया अवैध है उनमें से कौन सी वैध हो सकतीं हैं इसके लिए रास्ते निकाले जा रहे है।

जिन कॉलोनियों को वैध नहीं किया सकता उन पर किस तरह का एक्शन हो इस पर भी विचार मंथन किया जा रहा है। मंत्री विजयवर्गीय ने विधानसभा में प्रशनकाल के दौरान विधायक रीति पाठक के सवाल के जवाब में उपरोक्त जानकारी दी।

विधायक रीति पाठक ने अपने पूरक प्रश्न में एक और सवाल पूछा कि सीधी विधानसभा क्षेत्र के बस स्टैंड को तीड़कर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए दो साल पहले 7 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी, इसके निर्माण की बात तो छोड़िए अब तक टेंडर तक नहीं हुए और न ही निर्माण प्रक्रिया से जुड़ी कोई गतिविधि शुरु की गई है। इस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा है कि हमने संबंधित लोगों को नोटिस देकर कारण पूछा है।

इसके साथ ही हला हवाली पर सरकार एक्शन लेने में भी देरी नहीं करेगी। उन्होंने विधायक को बताया कि चूंकि समय ज्यादा हो गया है इसलिए इस कॉम्प्लेक्स की लागत भी बढ़ी है इसलिए 12 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। बहुत जल्द इसका काम शुरु हो जाएगा।

कटाक्ष

बहरूपियां

हाथ जोड़ कर अभिवादन करते
देखा सुबह जिनको
गालियां बकते देखा शाम को उन को

शहर की बदहाली का
शोर मचाते देखा जिनको
शहर की सुन्दरता में लगायें
गमलों को चुराते देखा उन को

सोशल मीडिया पर
नफ़रत फैलाने वाली भीड़
के साथ खड़े थे जो
अच्छे बन कर
चुनाव लड़ते देखा
उन को

घर के भीतर
चीखते चिल्लाते लड़ते
झगड़ते लोगों को
व्हाटसअप पर उपदेश देते
देखा
उन को

संविधान बचाने को
सड़क पर निकले लोगों को
संसद के भीतर संविधान को
तार तार करते देखा
उन को

रमेश कुमार संतोष

सरकारी कैलेंडर पर छिड़ा इम्पाला विवाद

पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बोले- जो हिरण देश में ही नहीं, उसका फोटो क्यों लगाया

इंदौर। मध्य प्रदेश सरकार की सरकारी डायरी के बाद अब सरकारी कैलेंडर भी विवादों में आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य सरकार की ओर से प्रकाशित कैलेंडर पर छपी हिरण की तस्वीर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर कैलेंडर की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, मुख्यमंत्री जी!

जिस हिरण का चित्र एमपी के कैलेंडर पर लगाया गया है, वह न तो मध्य प्रदेश में पाया जाता है और न ही भारत में। उन्होंने दावा किया कि यह 'इम्पाला' है, जो अफ्रीका में पाया जाता है।

दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की लापरवाही से जोड़कर देख रहा है। हालांकि, इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि सरकार इस विवाद पर क्या स्पष्टीकरण देती है और क्या भविष्य में शासकीय प्रकाशनों में चित्रों के चयन को लेकर कोई नई प्रक्रिया अपनाई जाती है।

ये बड़ी त्रुटि है-कैलेंडर के मुद्दे पर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मप्र वाइल्ड लाइफ के संबंध में देश में सदैव अव्वल रहा है।

प्रदेश की इतनी वन संपदा के बावजूद ऐसा किया गया है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लोग जिम्मेदार हैं। सरकार के अधिकारी जमीनी स्तर पर हकीकत से कितने दूर हैं। कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा- प्रशासन इतना निरंकुश हो गया है और अधिकारी इतने मदमस्त हो गए हैं कि उन्हें यही नहीं पता कि हम क्या लिटरेचर छाप रहे हैं। उसमें कितना करोड़ खर्च होता है। उसमें हम यही नहीं समझ पाए कि हम क्या छाप रहे हैं। इतनी अराजकता का माहौल हमने 50 साल में कभी नहीं देखा।

यह बड़ी हास्यास्पद कार्यशैली-कांग्रेस विधायक राजन मंडलोई ने कहा- यह बड़ा हास्यास्पद है कि भारत में इतने वन्यप्राणी हैं। शेर-चीते हैं, जिनकी फोटो लगाई जा सकती थी, लेकिन अफसर पता नहीं कहां से फोटो खोज कर लाते हैं और कैलेंडर पर लगा देते हैं।

कैलेंडर पर छपी फोटो को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस नकारात्मक राजनीति करती है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मूल बातों पर कांग्रेसियों का ध्यान नहीं है।